मै0 मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, (एम.पी.सी.सी.) खसरा न0 242 एवं 244, ग्राम–मंडावर (एन.एच.–73), तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सी.बी.एम.डब्लू.टी.एफ.) में वर्तमान में स्थापित इन्सिनिरेटर एवं अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन एवं क्षमता विस्तारीकरण के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environment Cleareance) हेतु दिनांक 05.08.2025 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही का कार्यवृत।

मै0 मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, (एम.पी.सी.सी.), खसरा न0 242 एवं 244, ग्राम–मंडावर (एन.एच.–73), तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सी.बी.एम.डब्लू.टी.एफ.) में वर्तमान में स्थापित इन्सिनिरेटर एवं अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन एवं क्षमता विस्तारीकरण के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का अनुरोध ई0आई0ए0 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्तुत किया गया। उक्त क्षमता विस्तारीकरण का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत आच्छादित है तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रावधान है। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमानुसार लोक सुनवाई की सूचना 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्रों यथा– "हिन्दुस्तान" (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं "हिन्दुस्तान टाईम्स" (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 26.06.2025 को प्रकाशित की गयी थी।

लोक सुनवाई, जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार द्वारा नामित उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे से मै0 मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, (एम.पी.सी.सी.), खसरा न0 242 एवं 244, ग्राम–मंडावर (एन.एच.–73), तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार में आयोजित की गयी। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार आयोजित की जा रही है। मै0 मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, (एम.पी.सी.सी.) की ओर से पर्यावरणीय परामर्शी श्री मुजफ्फर अहमद द्वारा मै0 एम.पी.सी.सी. के प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण एवं इन्सिनिरेटर एवं अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया गया कि क्षमता विस्तारीकरण एवं प्रतिस्थापन के अन्तर्गत 300 कि.ग्रा./घंटा क्षमता का रोटरी क्लिन इन्सिनिरेटर स्थापित किया जाना है, जिससे Combustion क्षमता में वृद्धि तथा उत्सर्जन की गुणवत्ता में सुधार होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ड्राई फिल्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है। 100 कि.ग्रा./घंटा क्षमता का इन्सिनिरेटर Standby के रूप में स्थापित किया जाना हैं। उक्त के अतिरिक्त आटोक्लेव की क्षमता 1500 ली./घंटा, शेड्र 300 कि.ग्रा./घंटा तथा रासयनिक विसंक्रामक टैंक 1000 ली./घंटा की स्थापना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण के उपरान्त कुल जल खपत 20 के.एल.डी. प्रस्तावित है। आटोक्लेव, फ्लोर वाशिंग आदि से जनित उत्प्रवाह 14 के.एल.डी. के शुद्धिकरण हेतु 30 के.एल.डी. क्षमता के ई.टी.पी. की स्थापना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से शुद्धिकृत उत्प्रवाह को हरित पट्टिका में प्रयोग किया जाना है।

प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत रू 1.50 करोड़ है, जिसमें रू 0.50 करोड पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्तुतिकरण के उपरान्त जन समुदाय से उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण एवं इन्सिनिरेटर एवं अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये। आपत्तियां/सुझाव का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **श्री किरनपाल सिंह पुंडीर, निवासी–मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि मै. एम.पी.सी.सी. का प्लांट वर्ष 2005 से संचालन में है। इस प्लांट से कोई नुकसान नहीं है एवं प्लांट से लोगो को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

2. **श्री समेर चन्द, मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि रास्ता 4–5 साल से बंद था। उद्योग द्वारा मिट्टी भरकर रास्ते को ठीक कराया गया।

3. **श्री साजीद अली, पूर्व प्रधान सबनपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग 22–23 वर्षो से संचालन में है। उद्योग में प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जाये, ताकि प्रदूषण की समस्या न रहे। उद्योग के संचालन से रोजगार मिल रहा है।

4. **श्री प्रवीन राणा, पूर्व बी.डी.सी. सदस्य, मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के संचालन से कोई परेशानी नहीं है। उद्योग के समीप एक आवासीय कालोनी है जिसमें घर बने हैं। उद्योग 23 वर्षो से संचालन में है तथा उद्योग से कोई परेशानी नहीं है।

5. **श्री प्रदीप सैनी, मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में पहले से कोई समस्या नहीं थी। उद्योग का संचालन आवश्यक है। तथापि प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जाये।

6. **मो0 मुस्तफा, ग्राम प्रधान मोहितपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग मै0 एम.पी.सी.सी. में लगभग 2–3 महिनों से समस्या आई है। अतः समस्या के समाधान हेतु प्रयास किये जाये। समस्या के निराकरण हेतु एक समिति का गठन किया जाये। फैक्ट्री का आधुनिकिकरण आवश्यक है। सी.एस.आर. फंड से आवश्यक कार्य किये जाये।

7. **श्री सन्नी सैनी, ग्राम प्रधान मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी कम्पनी को प्रदूषण के कारण 6 माह कार्य नहीं करने दिया गया। कम्पनी का संचालन 2015 तक सही ढ़ग से किया जा रहा था। लेकिन कोरोना काल में वेस्ट की मात्रा बढ़ने से समस्याऐं उत्पन्न हुई हैं। कम्पनी द्वारा सी.एस.आर. फंड में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है। श्री सैनी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा सर्वोपरि है। कम्पनी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। अतः कम्पनी को आबादी से दूर शिफ्ट किया जा सकता है।

   श्री सन्नी सैनी द्वारा एक "पैन ड्राईव" चलाने की अनुमति चाही गयी। पैनल द्वारा श्री सैनी को सुझाव दिया गया कि वे प्रत्यावेदन के साथ "पैन ड्राईव" संलग्न कर पैनल को उपलब्ध करा दें। प्राप्त प्रत्यावेदन एवं "पैन ड्राईव" लोक सुनवाई की कार्यवाही का हिस्सा बनाकर कार्यवृत के साथ सक्षम स्तर को प्रेषित् किया जायेगा।

8. **श्रीमती सरीता देवी, निवासी–अयोध्यापुरम कालोनी, मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि कालोनी में मकान बनाने से पूर्व उन्हें पता नहीं था कि फैक्ट्री में किस प्रकार का कार्य किया जाता है। कम्पनी द्वारा शाम को कचरा जमीन में जलाया जाता है, जिससे धुऐं की समस्या रहती है। उनके घरों की छत व पेड़ काले हो गये हैं।

9. **श्रीमती दीपिका सिंघल, निवासी–अयोध्यापुरम कालोनी, मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया फैक्ट्री से धुऐं की समस्या रहती है। रात में चिमनी बंद कर प्लांट चलाया जाता है, जिससे धुऐं की अत्याधिक समस्या रहती है, जिससे बच्चे बीमार हो रहें हैं।

10. **श्री प्रकाशवीर धीमान, निवासी–अयोध्यापुरम कालोनी, मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के समीपवर्ती आवासीय कालोनी, अयोध्यापुरम का निरीक्षण किया जाये, ताकि वास्तविकता ज्ञात हो सके।

11. **श्री सूर्याकांत सैनी, प्रधान प्रतिनिधि** द्वारा उद्योग प्रबन्धन से अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा वर्तमान तक जनहित या क्षेत्र के विकास में क्या–क्या कार्य किये गये हैं, उनका विवरण दिया जाये। धूऐं के नियंत्रण हेतु क्या–क्या उपाय किये गये हैं तथा नवीन तकनीकि का विवरण प्रस्तुत किया जाये। श्री सैनी द्वारा स्थानीय लोगों के नुकसान की भरपाई का भी अनुरोध किया गया।

12. **श्री देशराज कर्णवाल, पूर्व विधायक, झबरेड़ा** द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सन्नी सैनी, प्रधान मंडावर द्वारा प्रदूषण की समस्या को उठाया जा रहा है। उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। श्री कर्णवाल द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में औद्योगिक विकास हुआ है तथा उद्योगों से प्रदूषण होता है, जिससे स्थानीय लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए। श्री कर्णवाल द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि वे अनुशासन में रहकर अपने सुझाव/आपत्तियां को रखें। श्री कर्णवाल द्वारा मांग की गयी कि उद्योग में तकनीकि स्टाफ में भी स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

13. **डा0 मधु सिंह, जिलाध्यक्ष, भाजपा, रूड़की** द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय महिलाओं द्वारा अपनी समस्या में बताया गया कि फैक्ट्री में कचरे को रात में जलाया जाता है तथा प्रदूषित पानी नाले में निस्तारित किया जा रहा है। प्रदूषण की समस्या में हम सभी ग्रामवासियों के साथ हैं। उद्योग प्रबन्धन को प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु एक मौका दिया जाना चाहिए। उक्त अवधि में उद्योग प्रबन्धन द्वारा समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उद्योग प्रबन्धन सर्वप्रथम वर्तमान क्षमता हेतु प्रदूषण नियंत्रण की आधुनिक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित् करें।

    डा0 मधु सिंह द्वारा उद्योग प्रबन्धन से जन–सामान्य द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जवाब चाहा गया। उद्योग प्रबन्धन की ओर से डा0 विशाल वर्मा द्वारा उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण एवं इन्सिनिरेटर एवं अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में निम्नलिखित् बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

    i. पूर्व में स्थापित 100 कि.ग्रा./घंटा क्षमता के इन्सिनिरेटर के स्थान पर 300 कि.ग्रा./घंटा क्षमता की रोटरी टाईप इन्सिनिरेटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डा0 वर्मा द्वारा अवगत करया गया कि रोटरी टाईप इन्सिनिरेटर की न्यूनतम क्षमता 300 कि.ग्रा./घंटा होती है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु नवीनतम ड्राई फिल्टर्स तकनीकि स्थापित किये जाने हैं। रोटरी टाईप इन्सिनिरेटर में कचरा सही ढ़ग से जलता है, जिससे धुऐं की गुणवत्ता में सुधार होगा। डा0 वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उद्योग का आधुनिकिकरण आवश्यक है ताकि नवीनतम तकनीकि का प्रयोग किया जा सके।

    ii. प्रस्तावित आधुनिकिकरण में वैट स्क्रबिंग के स्थान पर "ड्राई फिल्टर्स तकनीकि" का प्रयोग किया जाना है, जिसमें पानी की खपत न्यून होगी।

    iii. डा0 वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में वर्तमान में लगभग 100 लोगों का स्टाफ है जिसमें से लगभग 90 लोग उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं।

iv. डा0 वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि सी.एस.आर. के अन्तर्गत लगभग 2600 सदस्य चिकित्सालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन (Hepatitis-B & Titanus) सम्बन्धी कार्य किया गया। भविष्य में सी.एस.आर. फंड का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।

14. **श्री राहुल सैनी, ग्राम–मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग को 100 कि.ग्रा./घंटा क्षमता की एन.ओ.सी. प्राप्त है। अतः उद्योग को 100 कि.ग्रा./घंटा क्षमता से अधिक क्षमता पर संचालन नहीं किया जा सकता है।
15. **श्रीमती बालेश, ग्राम–मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिससे महिलाओं में दमा व कैंसर की बीमारी हो रही है। उद्योग से पुरे दिन धुँआ निकलता रहता है।
16. **श्री भूपेन्द्र सैनी, डाडा पट्टी** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग लाल श्रेणी (Red category) के अन्तर्गत आती है। उद्योग से अत्यधिक प्रदूषण जनित होता है जिससे भविष्य में भी प्रदूषण का खतरा है। अतः उद्योग का विरोध करते हैं।
17. **श्री कुलदीप कुमार** द्वारा अवगत कराया गया कि वे पूर्व में उद्योग में मजदूरी करते थे। उद्योग में मजदूरी पूरी नहीं मिलती है। उद्योग के कारण भू–जल पीने लायक नहीं है।
18. **श्री श्यामवीर सैनी, मा0 राज्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार** द्वारा अवगत कराया गया कि किसी उद्योग को बंद करना उद्देश्य नहीं है। औद्योगिक विकास क्षेत्र की जनता के हित में होना चाहिए तथा क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की संतुष्टि आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है। उद्योग से प्रदूषण की समस्या जनित है तो उसका समाधान आवश्यक है। उद्योगों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिम्मेवार है। उद्योग में प्रदूषण के रोकथाम के उपाय एक समय सीमा के अन्तर्गत पूरें किये जाए। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। श्री श्यामवीर सैनी द्वारा अपील की गयी कि उद्योग के संचालन के साथ यह भी सुनिश्चित् हो कि जन–मानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न होवें।
19. **डा0 सौरभ गुप्ता, रूड़की** द्वारा अवगत कराया गया कि जन मानस द्वारा मुख्य रूप से वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की समस्या के बारे में अवगत कराया गया है। जैसा कि उद्योग प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आधुनिकिकरण प्रस्तावित है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आयेगी। अतः सुझाव है कि उद्योग की चिमनी पर Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMS) की स्थापना की जाये एवं Real Time Air Quality Data को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित् किये जाये। डा0 गुप्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि उद्योग परिसर में Ambient Air Quality Monitoring की स्थापना की जाये तथा नियमित रूप से परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाये। भू–जल की जल गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाये तथा जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता आदि के आंकड़े उद्योग के मैन गेट पर प्रदर्शित किये जाये। डा0 गुप्ता द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि उद्योग के आधुनिकिकरण के उपरान्त क्षमता विस्तारीकरण को Incremental के रूप में किया जा सकता है ताकि क्षमता विस्तारीकरण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों का वास्ताविक आंकलन कर क्षमता विस्तारीकरण की अनुमति प्रदान की जाये।
20. **श्री अंकित सैनी, निवासी हसनपुर–मनदपुर** द्वारा अपील की गयी कि क्षेत्र की जनता की मांग एवं स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के दृष्टिगत उद्योग को आबादी से दूर शिफ्ट किया जाये।
21. **सुश्री मोनिका, निवासी मंडावर** द्वारा मांग की गयी कि श्री सन्नी सैनी, प्रधान, ग्राम पंचायत मंडावर द्वारा जन सुनवाई के पैनल से पैन ड्राईव के विडियों को दिखाने की मांग की जा रही है। सुश्री मोनिका द्वारा जानना चाहा कि आखिर विडियों में ऐसा क्या है जिसे जन सुनवाई में नहीं दिखाया जा सकता है।

22. **श्री भावेश चौहान** द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जांच कर अनुमति प्रदान की गयी है। उद्योग का संचालन मानकों के अनुपालन के साथ ही किया जाये। श्री चौहान द्वारा रायपुर क्षेत्र में उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के बारे में अवगत कराया गया।
23. **श्री विजय कुमार, निवासी हसनपुर–मदनपुर** द्वारा श्री सन्नी सैनी, प्रधान ग्राम पंचायत, मंडावर द्वारा पैन ड्राईव के विडियों को दिखाने की मांग की गयी।
24. **श्री मदनपाल सिंह, मंडावर** द्वारा अनुरोध किया गया कि जन सुनवाई की कार्यवाही शान्तिपूर्वक हो। श्री मदनपाल सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वे उद्योग को बंद करने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन उद्योग में प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित् किये जाये।
25. **श्री अरविंद सैनी, भगवानपुर** द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में पहले 20 फिट की गहराई पर हैंडपम्प में पानी आता था, लेकिन अब 150 फिट में भी पानी नहीं आता है। श्री सैनी द्वारा मांक की गयी कि उद्योग के संचालन से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
26. **श्री परवेश सैनी, मंडावर** द्वारा श्री सन्नी सैनी, प्रधान, ग्राम पंचायत, मंडावर द्वारा "पैन ड्राईव" के विडियों को दिखाने की मांग की गयी।
27. **श्री बीरम सैनी, मंडावर** द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में धुऐं की समस्या रहती है जिससे खेती को नुकसान हो रहा है। अतः फैक्ट्री को बंद किया जाये।
28. **सुश्री सोनिया, मंडावर** द्वारा जानना चाहा कि यदि वे इस उद्योग के समीपवर्ती कालोनी में रहते तो क्या करते ?

जन सुनवाई की कार्यवाही के समय निम्नलिखित प्रत्यावेदन पैनल को सौपें गयेः–

i. ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मंडावर एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन "पैन ड्राईव" सहित।
ii. सुश्री सगुन एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन।
iii. सुश्री पिंकी एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन।
iv. श्री दलीप सिंह पंवार द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन।
v. श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन।

लोक सुनवाई प्रकिया में डा0 विनय वर्मा, सचिव, मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी द्वारा जन समुदाय के द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं पर उद्योग की ओर से निम्नलिखित् बिन्दुओं के बारे में अवगत कराया गयाः–

1. डा0 वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी द्वारा वर्तमान में 05 जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण के प्लांट संचालित किये जा रहे हैं। दिल्ली में आधुनिक तकनीकि पर आधारित एक अन्य प्लांट की अनुमति मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को प्राप्त हुई है।
2. डा0 वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि इन्सिनिरेटर से संलग्न चिमनी में एक माह के अन्तर्गत Scada आधारित Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMS) की स्थापना की जायेगी।
3. डा0 वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के इन्सिनिरेटर का संचालन 100 कि.ग्रा./घंटा क्षमता के अनुसार ही किया जायेगा।
4. सी.एस.आर. फंड एवं उक्त के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का विवरण एक माह के अन्तर्गत तैयार कर लिया जायेगा।
5. उद्योग में भू–जल के प्रयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण, देहरादून से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

लोक सुनवाई के अध्यक्ष, उप जिलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जन सुनवाई के दौरान सभी महानुभावों द्वारा रखे गये लिखित एवं मौखिक सुझाव/आपत्तियों को रिकार्ड कर लिया गया है। जन सुनवाई का कार्यवृत्त, लिखित प्रत्यावेदन, उपस्थिति पंजिका, विडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर अग्रेतर विचार हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित् की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

संलग्नकः–

1. **लिखित प्रत्यावेदन (सं0–5) 03 सैट में।**
2. **फोटोग्राफी – 03 सैट में।**
3. **विडियो रिकाडिंग – 03 पैन ड्राईव में।**
4. **उपस्थिति पंजिका – 03 प्रतियों में।**

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उप जिलाधिकारी,
भगवानपुर।